सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **187/2012** दायर दिनाँक **16.10.2008**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हनुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 2. कल्याणसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, (फौत), के वारिसान्— 02/01 सन्तोषकँवर पत्नी स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/02 मनोहरसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/03 खेतसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/04 नवरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/05 बलवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/06 पुष्पाकँवर पुत्री स्वर्गीय कल्याणसिंह, 3. भवानीसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 4. नाहरसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 5. हाकमसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 6. सिरेकँवर पत्नी स्वर्गीय सवाईसिंह, समस्त,जाति—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीसिंह, (फौत), के वारिसान्— 01/01 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 मुन्नीकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 नन्दुकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 औमसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. गोपालसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, 3. हट्टूसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, 4. भींवसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. छगनकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी नारायणसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—पूराँ, तहसील व जिला—सीकर, राजस्थान, 6. रसालकँवर पुत्र गुलाबसिंह पत्नी रामसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—आबास, तहसील—लक्ष्मणगढ, जिला—सीकर, राजस्थान, 7. धापूकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी रघुनाथसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—पूराँ, तहसील व जिला—सीकर, राजस्थान,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 187/2012
दायर दिनाँक 16.10.2008, निर्णय दिनाँक 29.01.2019
हनुमानसिंह बनाम् भँवरसिंह, वगैरा।

		8. ताजूकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी नरपतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–गोपीनाथपुरा, रामगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, 9. भँवरकँवर पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नी रूपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद इकबाल व श्री अल्ताफ हुसैन वकुलाय, वादीगण।
2. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 09 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **29.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण, स्वर्गीय सवाईसिंह के पुत्रगण व पत्नी हैं। प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय सवाईसिंह के भाई स्वर्गीय पृथ्वीसिंह का लड़का व प्रतिवादी संख्या 09 स्वर्गीय पृथ्वीसिंह की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 स्वर्गीय सवाईसिंह के अन्य भाई स्वर्गीय अन्य भाई स्वर्गीय गुलाबसिंह के भाई व पुत्रियाँ हैं। स्वर्गीय सवाईसिंह व पृथ्वीसिंह का देहान्त क्रमशः 10वर्ष व 05–06वर्ष पूर्व हो चुका है तथा स्वर्गीय गुलाबसिंह का स्वर्गवास वर्ष 2006 में हो चुका है। स्वर्गीय गुलाबसिंह की फौतगी रपट व उसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 का म्यूटैशन वाद वर्णित खसरान् की भूमि में नहीं चढा है।

उपर्युक्त प्रकार से वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष एक ही परिवार के हैं। वादी पक्ष की कब्जासुदा व भाई बन्ट मौखिक व पारिवारिक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

समझौते के अनुसार आई खसरा की भूमि जो बाड़ा के रूप में केवल वादी पक्ष के उपयोग व उपभोग में ली जाती रही है जिसके खसरा नम्बर 64 व 49 रकबा क्रमश' 05.09 बीघा व 01.06 बीघा तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 72 रकबा 105.05 बीघा की काश्त की भूमि वाके सरहद ग्राम पालोट में वादी पक्ष के अकेले के कब्जाकाश्त व बन्ट में चली आ रही है जबकि प्रतिवादी पक्ष अथवा उनके पिता का इन खेतों में अथवा बाड़े पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा। सम्पूर्ण रकबा 105.05 बीघा, खसरा नम्बर 72 तथा खसरा नम्बर 64 रकबा 05.09 बीघा व खसरा नम्बर 49 रकबा 01.06 बीघा बीघा सदैवा से वादी पक्ष के कब्जाकाश्त में रही है। प्रतिवादी पक्ष को मौखिक बन्ट के अनुसार इन खसरान् की भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं दिया गया। स्वर्गीय पृथ्वीसिंह व गुलाबसिंह के नाम खातेदारी में गलत रूप से दर्ज चली आ रही है।

उक्त पारिवारिक समझौते में तीनों भाइयों सवाईसिंह, गुलाबसिंह व पृथ्वीसिंह के जीवन पर्यन्त ही हो गया था परन्तु किसी प्रकार की लिखापढी नहीं होने के कारण उक्त प्रकार का समावेश अकेले वादी पक्ष के पिता के नाम नहीं हो सका तथा तीनों भाइयों के नाम से संयुक्त खातेदारी चली आ रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 व 09 तथा गुलाबसिंह के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 का नाम खातेदारी में से हटाये जाने हेतु यह दावा पेश है।

वादी पक्ष का वाद रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी का है जिसमें राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है परन्तु चूँकि ऐसे मामलों में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है इसलिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर जरिये तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं है इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होने से यह वाद बिना नोटिस के पेश किया जा रहा है।

बिनाय दावा वादी पक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 जुलाई 2008 के द्वितीय सप्ताह के कुछ समय पूर्व एवं उसके बाद लगातार वादी पक्ष को उक्त खसरान् की भूमि में से बेदखल करने की धमकी से निरन्तर हुदुद अदालत वाला के उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार दावा भी अन्दर मयाद पेश है।

अनुतोष वादीगण है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 105.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 05.09 बीघा व खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 01.06 बीघा से प्रतिवादी संख्या 01 व स्वर्गीय गुलाबसिंह का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादी पक्ष की घोषित की जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 के नाम का समावेश उक्त खसरान् की भूमि में नहीं किया जावे इस अमर का स्थाई आदेश जारी किया जावे।

वादी पक्ष के उक्त खसरान् की भूमियों के कब्जाकाश्त में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 10 व 11 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जिसमें अवगत कराया गया कि, दिनाँक 15.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 भँवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिया जावे, लिहाजा प्रतिवादी भँवरसिंह के वारिसान् को नियमानुसार रिकॉर्ड पर लिया गया।

जरिये वकील प्रतिवादीगण ने जरिये प्रार्थना–पत्र के तथ्यात्मक रिपोर्ट के निवेदन किया कि, बाद साक्ष्य सम्पूर्ण दस्तावेजात् के वाद का निर्णय किया जावे।

हस्तगत वाद दिनॉक 02.07.2012 को अद्म हाजरी अद्म पैरवी में खारिज किया गया व दिनॉक 06.07.2012 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसे बाद सुनवाई के प्रकरण पुनः रेस्टोर किया गया।

वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसमें निवेदन किया गया कि, वादी संख्या 02 कल्याणसिंह का दिनाँक 02.01.2019 को स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिया जावे, लिहाजा वादी संख्या 02 कल्याणसिंह के वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 187 / 2012
दायर दिनाँक 16.10.2008, निर्णय दिनाँक 29.01.2019
हनुमानसिंह बनाम् भँवरसिंह, वगैरा।

गया। वादीगण की पहचान वकुलाय सर्वश्री मोहम्मद इकबाल व अल्ताफ हुसैन वकुलाय ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड ने की। हस्तगत राजीनामा तस्दीक किया गया।

उक्त राजीनामा मुताबिक– खसरा नम्बर 49 रकबा 01.06 बीघा भूमि में से रकबा 0.05 बीघा की खातेदारी भवानीसिंह के व रकबा 0.05 बीघा हनुमानसिंह के व रकबा 0.10 बीघा कल्याणसिंह तथा रकबा 0.06 बीघा की खातेदारी नाहरसिंह व हाकमसिंह के की जावे। खसरा नम्बर 64 रकबा 05.09 बीघा भूमि की खातेदारी गोपालसिंह, भींवसिंह, हट्टूसिंह के घोषित की जावे। खसरा नम्बर 72 रकबा 105.05 बीघा में से रकबा 25.05 बीघा की खातेदारी वादी संख्या 02 स्वर्गीय कल्याणसिंह के वारिसान् सन्तोषकँवर पत्नी स्वर्गीय कल्याणसिंह, मनोहरसिंह, खेतसिंह, नवरंगसिंह, बलवीरसिंह पिसरान् स्वर्गीय कल्याणसिंह के व रकबा 20.00 बीघा की खातेदारी वादी संख्या 03 भवानीसिंह के व रकबा 20.00 बीघा की खातेदारी वादी संख्या 05 हाकमसिंह के व रकबा 20.00 बीघा की खातेदारी वादी संख्या 04 नाहरसिंह के व रकबा 20.00 बीघा की खातेदारी वादी संख्या 01 हनुमानसिंह के घोषित की जावे।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

पक्षकारान् राजीनामा माफिक दावा डिक्री हेतु निवेदन कर रहे हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं हुआ है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद पालोट में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व--वाद, संख्या 187/2012
दायर दिनाँक 16.10.2008, निर्णय दिनाँक 29.01.2019
हनुमानसिंह बनाम् भँवरसिंह, वगैरा।

1. खसरा नम्बर 49 रकबा 01.06 बीघा भूमि में से, रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को व रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का स्वर्गीय कल्याणसिंह के वारिसान् वादीगण संख्या 02/01 ता 02/05 को तथा रकबा 0.06 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 04 व 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 64 रकबा 05.09 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 72 रकबा 105.05 बीघा भूमि में से, रकबा 25.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 स्वर्गीय कल्याणसिंह के वारिसान्– वादीगण संख्या 02/01 ता 02/05 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 04 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 05 को तथा रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **187/2012** दायर दिनांक **16.10.2008**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हनुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 2. कल्याणसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, (फौत), के वारिसान्– 02/01 सन्तोषकँवर पत्नी स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/02 मनोहरसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/03 खेतसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/04 नवरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/05 बलवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय कल्याणसिंह, 02/06 पुष्पाकँवर पुत्री स्वर्गीय कल्याणसिंह, 3. भवानीसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 4. नाहरसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 5. हाकमसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, 6. सिरेकँवर पत्नी स्वर्गीय सवाईसिंह, समस्त,जाति–पालोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीसिंह, (फौत), के वारिसान्– 01/01 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 मुन्नीकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 नन्दुकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 औमसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. गोपालसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, 3. हट्टूसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, 4. भींवसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालोट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. छगनकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी नारायणसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पूराँ, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान, 6. रसालकँवर पुत्र गुलाबसिंह पत्नी रामसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–आवास, तहसील–लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, 7. धापूकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी रघुनाथसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पूराँ, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		8. ताजूकँवर पुत्री स्वर्गीय गुलाबसिंह पत्नी नरपतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–गोपीनाथपुरा, रामगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, 9. भँवरकँवर पुत्री पृथ्वीसिंह पत्नी रूपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ठाकरियावास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **29.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदद्ई श्री मोहम्मद इकबाल व श्री अल्ताफ हुसैन वकुलाय, वादीगण व श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, प्रतिवादीगण 01 ता 09 ओर से मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद पलोट में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि:–

1. खसरा नम्बर 49 रकबा 01.06 बीघा भूमि में से, रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को व रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का स्वर्गीय कल्याणसिंह के वारिसान् वादीगण संख्या 02/01 ता 02/05 को तथा रकबा 0.06 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 04 व 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 64 रकबा 05.09 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

3. खसरा नम्बर 72 रकबा 105.05 बीघा भूमि में से, रकबा 25.05 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 स्वर्गीय कल्याणसिंह के वारिसान्– वादीगण संख्या 02/01 ता 02/05 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 04 को व रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 05 को तथा रकबा 20.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज अन्य शेष खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत........ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

दिनाँक 5/2/19

क्रमांकः—187—2012/रीडर/2019/138

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हनुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह, जाति—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीसिंह, (फौत), के वारिसान्— 01/01 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 मुन्नीकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 नन्दुकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 औमसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—पालोट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner